भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1632
जिसका उत्तर मंगलवार, 02 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक बसें

1632. श्री बालाशोवरी वल्लभानेनी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक बसों हेतु राज्यों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या राज्यों द्वारा इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए राज्यों का शत प्रतिशत अनुदान है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) इस संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार विभाजन के कारण राज्य के वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश राज्य को प्राथमिकता देने पर विचार करेगी?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविंद गणपत सावंत)

(क) और (ख): जी, हां। भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने फेम इंडिया योजना के चरण-II के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु प्रचालनात्मक लागत मॉडल पर विभिन्न शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसों को चलाने में इच्छुक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विभागों, राज्य/नगर परिवहन उपक्रमों, नगर निगमों अथवा इसी प्रकार के अन्य सार्वजनिक उद्यमों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए दिनांक 04 जून, 2019 को एक रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की है। विस्तृत ईओआई की प्रति विभाग की वेबसाइट [www.dhi.nic.in] पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ): जी, नहीं। चूंकि फेम इंडिया योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों को केवल प्रचालनात्मक लागत आधार अर्थात् दर प्रति किलोमीटर आधार पर ही चलाया जाना है, सभी चुनिन्दा शहरों/राज्य परिवहन उपक्रम आदि के लिए एक एकसमान बोली तंत्र के माध्यम से पात्र प्रोत्साहनों की गणना की जाएगी। पात्र प्रोत्साहन की गणना के लिए मानदंड को उक्त रुचि की अभिव्यक्ति के "बोली तंत्र" शीर्ष के तहत पैरा 9 में बताया गया है।

(ङ): अब तक, उक्त रुचि की अभिव्यक्ति के उत्तर में इस विभाग को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(च): जी, नहीं। इस रुचि की अभिव्यक्ति के लिए शहरों/राज्य परिवहन उपक्रमों से प्राप्त प्रस्तावों का चयन एक एकसमान चयन मापदंड के आधार पर किया जाएगा जिसमें इस रुचि की अभिव्यक्ति में दिए गए उपबंधों के अनुसार समिति द्वारा विचारार्थ पैरामीटरों अर्हता/ चयन पैरामीटरों/ रैंकिंग पैरामीटरों को परिभाषित किया गया है।

*****